न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
सत्र वाद संख्या– 602/2022
CNR No. UPHP010044632022

उत्तर प्रदेश राज्य।

........अभियोजन पक्ष।

--बनाम--

1. **सोनू उर्फ जाकिर पुत्र रफीक,**
2. **नासिर पुत्र रफीक,**
3. **आरिफ पुत्र सब्बीर,**
4. **वसीम पुत्र नज़र मौ०,**

निवासीगण ग्राम बझैड़ा कलां, थाना धौलाना, जिला हापुड़।

.......अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०– 380/2021
अंतर्गत धारा– 323/34, 308/34,
352, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता।
थाना धौलाना, जिला हापुड़।

निर्णय

1. थाना धौलाना, जिला हापुड़ की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 380/2021 में विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर पुत्र रफीक, नासिर पुत्र रफीक, आरिफ पुत्र सब्बीर व वसीम पुत्र नज़र मौ० के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 323, 308, 352, 504, 506 भा०दं०सं० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ को प्रेषित किया गया। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। न्यायलाय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त का परीक्षण उपरोक्त धाराओं में किया गया।

2. वादी मुकदमा द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि "साबिर पुत्र मौ० अली ग्राम बझैड़ा कलां का निवासी हूं। आज दिनांक 01.09.2021 को समय करीब 5 बजे शाम मैं तथा मेरे परिवार के नाजिम पुत्र हामिद तथा मेरे लड़के अफजाल और शाहरुख रास्ते में सीमेंट का पाइप लगा रहे थे, तब ही पास के रहने वाले लोग– सोनू व नासिर पुत्र रफीक, आरिफ पुत्र सब्बिर, वसीम पुत्र नजर मौ०, निवासी ग्राम बझैड़ा कलां आ गये और हमें पाइप लगाने से रोकने लगे। हमने रोकने का कारण पूछा तो गाली गलौज करते हुए अपने–अपने घरों से लाठी, डंडे, सरियों एवं धारदार हथियार लेकर आ गये और हम निहत्थों पर जान से मारने की नीयत से हम लोगों पर हमला किया, जिससे शाहरुख तथा नाजिम के सिर में चोट आ गयी। इनका सिर फट गया, जिससे शाहरुख मौके पर ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया तथा अफजाल के पैर में गंभीर चोट आयी। मौके पर पड़ोसी के नन्हे पुत्र नियाज अली व हाशम अली पुत्र मौ० अली व अन्य लोग आ गये, जिन्होंने हमें बचाया तो ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। साहब मैं नाजिम, शाहरुख, अफजाल को लेकर थाने आया हूं। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।"

Honey Goel

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.08.19 12:51:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 380/2021 धारा 323, 308, 352, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना प्रारंभ हुई।

4. विवेचनाधिकारी द्वारा साक्षियों का साक्ष्य दर्ज किया गया और विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर पुत्र रफीक, नासिर पुत्र रफीक, आरिफ पुत्र सब्बीर व वसीम पुत्र नज़र मौ० के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 323, 308, 352, 504, 506 भा०दं०सं० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ को प्रेषित किया गया। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। जिसके उपरान्त इस न्यायलाय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण का परीक्षण उपरोक्त धाराओं में किया गया।

5. अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा न्यायालय सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 27.07.2022 को अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर पुत्र रफीक, नासिर पुत्र रफीक, आरिफ पुत्र सब्बीर व वसीम पुत्र नज़र मौ० के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323/34, 308/34, 352, 504, 506 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की। न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष को अपना संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

6. परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर निम्न अभियोजन साक्षीगण को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया तथा निम्न अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने नाम के सम्मुख अभिलिखित अभियोजन प्रपत्र को न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयान के माध्यम से सिद्ध किया गया–

अभियोजन साक्षी संख्या	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**	**संबंधित अभियोजन प्रपत्र**	**के रूप में सिद्ध किया**
पी०डब्ल्यू–01	साबिर	वादी मुकदमा	तहरीर	प्रदर्श क–01
पी०डब्ल्यू–02	नाजिम	तथ्य साक्षी	....	....
पी०डब्ल्यू–03	अफजाल	तथ्य साक्षी	....	....
पी०डब्ल्यू–04	डॉ० कृष्ण कुमार	डॉक्टर	चिकित्सीय आख्या	प्रदर्श क–02
पी०डब्ल्यू–05	शाहरुख खान	तथ्य साक्षी	....	....
पी०डब्ल्यू–06	फुरकान	तथ्य साक्षी	....	....
पी०डब्ल्यू–07	जाहिद	तथ्य साक्षी	....	....
पी०डब्ल्यू–08	कां० अनिरुद्ध पंवार	एफ०आई०आर० लेखक	चिक एफ०आई०आर० नकल रपट	प्रदर्श क–02A प्रदर्श क–03

पी०डब्ल्यू–09	एस०आई० अजयवीर सिंह	विवेचक	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–04
पी०डब्ल्यू–10	एस०आई० अमित कुमार सिंह	विवेचक	आरोप पत्र	प्रदर्श क–05

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत दर्ज किये गये। अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में स्वयं को निर्दोष बताते हुए कथन किया कि अभियुक्तगण को गांव की पार्टीबाजी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त का उपरोक्त मुकदमे की घटना से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं था। सभी साक्षियों की सुसंगत साक्ष्य का उल्लेख आगे चलकर किया जायेगा।

8. बचाव पक्ष/अभियुक्तगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

9. मेरे द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

10. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा साबिर को बतौर पी०डब्ल्यू०–01 परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "घटना दिनाक 01.09.2021 को समय करीब 5 बजे शाम मेरे तथा मेरे परिवार के नाजिम, अफजाल, शाहरूख रास्ते में सीमेंट का पाईप लगा रहे थे। तभी पास में रहने वाले सोनू, आरिफ, वसीम, नासिर निवासीगण बझैड़ा कलां आ गये। इन्होंने पाईप डालने के ऊपर गाली गलौज की, जिस पर इन लोगों ने एक राय होकर लाठी, डण्डों व धारदार हथियार व सरियों से जान से मारने की नीयत से हम लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें शाहरूख के सिर पर चोट आयी। सिर फट गया व मौके पर बेहोश हो गया। जमीन पर गिर गया। अफजाल के पैर पर चोट आयी। मौके पर हाशिम, नन्हें आ गये, जिन्होंने हमें बचाया। ये लोग हमें जान से मारने के लिए वहां से धमकी देकर चले गये। हम पहले अस्तपाल सरकारी गये थे। कोई पुलिस वाला साथ नहीं गया था। फिर थाने आये थे। थाने में रिपोर्ट लिखवाकर दे दी थी। किस व्यक्ति से लिखायी थी, नाम नहीं पता। रिपोर्ट पढ़कर सुना दी थी। फिर दस्तखत किये थे। गवाह ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर को पहचाना और कहा कि ये वही तहरीर है जो थाने पर दी थी, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। चोट नाजिम, शाहरुख और अफजाल को आयी थीं। मेडिकल हुआ था। मेरा दरोगा जी ने बयान लिया था।"

11. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "मैं चौथी कक्षा पढ़ा–लिखा हूं। खेती–बाड़ी करता हूं। थाने में मैंने जो तहरीर दी थी, वो मैंने खुद

नहीं लिखी थी। मैंने तहरीर किसी वकील से नहीं लिखवाई थी। थाने पर दो–तीन लड़के खड़े थे, नाम पता मालूम नहीं, उन्हीं से लिखवाई थी। उन्होंने हाथ से लिखकर तहरीर दी थी। तहरीर उन दोनों लड़कों ने अपने–आप लिखी थी। तहरीर एक लड़के ने लिखी थी। मैं थाने 05.00 बजे चला गया था। मेरे घर से थाने की दूरी 07 किमी है। मोटरसाईकिल से मैं थाने गया था। मोटरसाईकिल मेरे घर पर ही खड़ी थी। मैं थाने स्पलैण्डर प्लस मोटरसाईकिल से गया था। मैं थाने अकेला गया था। मोटरसाईकिल का नंबर DL8686 है। मोटरसाईकिल इमरान के नाम है। इमरान मेरे साले का लड़का है। मेरे साले चन्द्रपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं। इमरान के पिता का नाम मोमीन है। मुझे थाने पहुंचने में 20 मिनट लगा होगा। हम पहले थाने गए थे। जब हम थाने गये थे तो थाने पर दरोगा जी थाने पर थे। मैंने मुख्य परीक्षा में अस्पताल पहले जाना बताया था, परन्तु सही बात यह है कि मैं पहले थाने गया था। यह कहना सही है कि कल दिनांक 31.01.2023 को पहले अस्पताल जाने वाली बात जो कही थी, झूठ थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अदालत में झूठा बयान देने पर मुझे सजा भी हो सकती है। जब वे दो लड़के मेरी तहरीर लिख रहे थे तो पुलिस वाले उन्हें कुछ नहीं बता रहे थे कि क्या क्या लिखना है। घटना में तीनों लोगों शाहरुख खान, अफजाल व नाजिम को चोट आईं थीं। नाजिम और शाहरुख के सिर में चोट आई थीं। दरोगा जी ने मेरे बयान दो बार लिये थे। एक बार घर पर और दूसरी बार थाने में लिये थे। मेरी रिपोर्ट थाने में करीब आधे घण्टे में दर्ज हो गई थी। मैं चुटैलों को लेकर सरकारी अस्पताल करीब 7 बजे पहुंच गया था। मेडिकल कराने मैं ही गया था, थाने से कोई नहीं गया था। दरोगा जी मुझे घटनास्थल पर लेकर गए थे। मुझे दिशाओं का ज्ञान है। घटनास्थल की पूर्व में खेत है अय्यूब का। पश्चिम में बाबू का मकान है। पूर्व में सड़क पर आर०सी०सी० पड़ी हुई है। उत्तर में शौकत का मकान है। दक्षिण में हमारे भाई कासिम का मकान है। घटनास्थल से दरोगा जी ने मिट्टी का नमूना लिया था अथवा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि चुटैलों का खून जमीन पर गिरा या नहीं। कपड़े सने पड़े थे। खून से सने हुए कपड़े दरोगा जी ने नहीं लिये थे। बाद में कहा मेरे सामने नहीं लिये थे। मैं गांव में इस्ते प्रधान का समर्थन करता हूं। मुल्जिमान नदीम प्रधान का समर्थन करते हैं। जब मैं अस्पताल गया था तो सबसे पहले शाहरुख खान का इलाज किया था करीब 07.30–08.00 बजे के लगभग किया था। शाहरुख के सिर में चोट आई थी। सिर में उल्टी तरफ चोट आई थी। डॉ० साहब ने शाहरुख को एक्स–रे के लिए एडवाइस किया था। डॉ० हीरालाल थे, जिन्होंने किस अस्पताल के लिए एक्स–रे के लिए एडवाइस किया था, मुझे पता नहीं है। ओम डायग्नोसिस्ट सेण्टर से हमने शाहरुख का सी०टी० स्कैन कराया था। हमने खुद वहां से कराया था, डॉ० साहब ने वहां नहीं भेजा था। ओम डायग्नोसिस्ट सेण्टर की रिपोर्ट हमने देखी थी या डॉ० को दिखाई थी, याद नहीं है। मुझे इस बारे में नहीं पता कि उक्त रिपोर्ट दरेगा जी को दे दी थी या नहीं। रिपोर्ट मेरा भतीजा लाया था, मैंने नहीं देखी थी। फाइल पर लगी रिपोर्ट को देखकर कहा मेरा भतीजा फरमान पुत्र खलील जांच की रिपोर्ट लाया था, मैंने नहीं देखा। फरमान मुकदमे में गवाह नहीं है। धौलाना अस्पताल से हम शाहरुख को सीधे मेरठ अस्पताल ले गए थे। शाहरुख को अकेला मेरठ ले गए थे। ओम अस्पताल में ले गये थे। यह बात मुझे याद नहीं कि मेरठ अस्पताल में शाहरुख किस तारीख से किस तारीख तक भर्ती रहा। मेरठ अस्पताल में अगले दिन से भर्ती हुआ था। अस्पताल में कितने दिन भर्ती रहा, याद नहीं है। अस्पताल मेरठ मैं नहीं ले गया था। फरमान अकेला शाहरुख को लेकर मेरठ अस्पताल गया था। मुझे

पता नहीं ओम डायग्नोसिस्ट सेण्टर अस्पताल जाने की सलाह किसने दी थी। झगड़े के समय घटनास्थल पर चार–पांच लोग थे। मुल्जिम सोनू के हाथ में सरिया थी। वसीम के हाथ में बल्लम था। आरिफ के हाथ में लाठी थी। नासिर के हाथ में लाठी थी। ये हथियार वे अपने साथ लेकर आए थे। जो हमने देखा वो लिखवाया। एफ०आई०आर० में तहरीर में हमने ये सारी बात लिखवाई थी। यह कहना गलत है कि मौके पर बहुत सारे लोगों की भीड़ रही हों, चार–पांच लोग ही थे बीच–बचाव करने वाले। यह कहना गलत है कि हम जो पाइप लगा रहे थे, उस पर फिसलने से शाहरुख आदि को चोट लगी थी। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से पार्टीबाजी के कारण रंजिश रखता हूं। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूं। "

12. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह बतौर पी०डब्ल्यू०–02 नाजिम को परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "दिनांक 01.09.2021 की बात है। शाम के करीब 04–05 बजे होंगे। मैं अपनी मोटरसाईकिल से आ रहा था। उस दिन पहली बार हमारे घर के सामने काम चल रहा था। मैं बड़ी तेजी में था। मुझे सुबह जाते समय नहीं पता था कि यहाँ पर काम चल रहा है, गड्ढ़ा हो रहा है। मोटरसाईकिल तेजी की वजह से मैं होपलैस हो गया और तेजी से ब्रेक लगाया और मोटरसाईकिल गड्ढे में घुस गयी। घटना स्थल पर मोहल्ले के काफी लोग आ गये और मेरे सिर व पैर में चोट आ गयी। घटनास्थल पर मोहल्ले के काफी लोग आ गये। मुझे देवनन्दिनी अस्पताल इलाज के लिए ले गये। मेरे साथ सीनू, नासिर, आरिफ, वसीम ने कोई मारपीट नहीं की थी, न ही मुझे उन्होंने कोई चोट पहुंचाई। रिपोर्ट मैंने नहीं लिखायी थी, न मेरी जानकारी में है कि उक्त लोगों का नाम रिपोर्ट में कैसे लिखा दिया। मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिये थे।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह से जिरह की अनुमति चाही गयी। अभियोजन पक्ष को जिरह की अनुमति प्रदान की गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि "मैंने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। कार मैकेनिक का काम करता हूं, गाजियबाद करता हूं। डेली आना–जाना रहता है। रास्ते में घर के बाहर पाइप सरकार की तरफ से लगने जा रहे थे। हमने या मेरे परिवार वालों ने कोई पाइप नहीं लगाया। मुझे चोट मोटरसाईकिल के गड्ढे में गिर जाने से आयी। सोनू, नासिर, आरिफ व वसीम मेरे मोहल्ले के हैं, इन्होंने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की। यह कहना गलत है कि उक्त लोगों ने मेरे साथ मारपीट की हो। यह कहना गलत है कि मेरा फैसला हो गया है और मैं सही बात न बता रहा हूं।"

14. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर गवाह ने कहा कि इन्होंने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की। यह कहना गलत है कि आज हाजिर अदालत मैं झूठी गवाही दे रहा हूं। और न ही इन्होंने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।"

15. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह बतौर पी०डब्ल्यू०–03 अफजाल को परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "दिनांक 01.09.2021 की शाम करीब 4 बजे की बात है। मैं व नाजिम, शाहरूख नाजिम की मोटरसाईकिल पर बैठकर गांव आ रहे थे। नाजिम के मकान के सामने सड़क पर गहरा गड्ढ़ा खुदा हुआ था। मोटरसाईकिल अचानक से गड्ढे में गिर गयी और हम तीनों गिर गये, जिससे हमारे चोट आ गयी। उसी समय हमें मोहल्ले वाले उठाकर सरकारी अस्पताल ले गये थे। वहाँ हमारा मेडिकल व इलाज हुआ। सोनू, वसीम व आरिफ, नसीर ने हमारे साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही हमें चोटें पहुंचायी। रिपोर्ट मैंने नहीं लिखायी थी। दरोगा जी को बयान दिये थे या नहीं, मुझे याद नहीं है।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह से जिरह की अनुमति चाही गयी। अभियोजन पक्ष को जिरह की अनुमति प्रदान की गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि "मैंने तीनों मुल्जिमों का नाम नहीं बताया, न ही मारपीट की बात बतायी, उन्होंने मेरे बयान में उपरोक्त मुल्जिमों द्वारा मारपीट करने की बात लिखी है, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह बात सही है कि मेरे पैर में चोट आयी थी। सरकारी अस्पताल द्वारा मेरा एक्स–रे कराने हेतु रैफर किया गया था, जहां मेरा एक्स–रे हुआ था। मुल्जिमान मेरे गांव के हैं, मेरे परिवार के हैं, मैं इनको जानता हूं, पहचानता हूं। इनसे हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। मैं ड्राइवरी करता हूं। घटना वाले दिन गाड़ी छोड़कर घर आया था। मुझे नाजिम रास्ते में मिल गया था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान मेरे गांव के हैं, इसलिए मेरा फैसला हो गया है और न्यायालय में सही बात न बता रहा हूं।"

17. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर कहा कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट कर कोई चोट नहीं पहुंचायी थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। यह कहना गलत है कि आज मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।"

18. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह बतौर पी०डब्ल्यू०–04 डॉ० कृष्ण कुमार शर्मा को परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "दिनांक 01.09.2021 को मैं बतौर चिकित्साधिकारी के पद पर सी०एच०सी० धौलाना में तैनात था। उस दिन 7.25 पी०एम० पर होमगार्ड सत्यप्रकाश थाना धौलाना चुटैल अफजाल पुत्र साबिर, नाजिम पुत्र खालिद व शाहरुख पुत्र साबिर निवासीगण बझैड़ा कलां को मेडिकल हेतु लेकर उपस्थित हुए। इस साक्षी द्वारा उपरोक्त चुटैलों का मेडिकल परीक्षण किये जाने का कथन किया गया तथा चुटैल अफजाल की मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–02 के रूप में व पूरक रिपोर्ट को प्रदर्श क–03 के रूप में सिद्ध किया गया। इस साक्षी द्वारा नाजिम की मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–04 के रूप में तथा अभियुक्त शाहरुख की मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–05 के रूप में सिद्ध किया गया।"

19. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "चुटैल की चोटों का निरीक्षण मैंने किया था, यह बात सही है। यह बात सही है कि नाजिम व शाहरुख के सिर में उल्टी तरफ चोट आयी थी। यह बात सही है कि यह चोट गंभीर प्रकृति की नहीं थीं। यह भी संभव है कि मोटरसाईकिल से गिर जाने से भी चोटें आ सकती हैं। किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। शाहरुख को मैंने बायीं तरफ सिर की चोटों का एक्स–रे एडवाइस किया था। नाजिम का एक्स–रे एडवाइस नहीं किया था। यह बात सही है कि अफजाल की पूरक रिपोर्ट में No bone injury आयी थी। यह कहना गलत है कि मैंने चोटों का परीक्षण सही प्रकार से न किया हो और किसी तरह की लापरवाही बरती हो। यह कहना गलत है कि चुटैल को चोटें सिर के सीधी तरफ आयी हों।"

20. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी०डब्ल्यू०–5 शाहरुख खान को परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "दिनांक 01.09.2021 को मैं सुबह अपने घर से मोटरसाईकिल लेकर बेल्डिंग का काम करने बाहर गया था। उस दिन हमारे घर के सामने ग्राम प्रधान की ओर से रास्ते पर काम कराया जा रहा था। मेरी मोटरसाईकिल पर नाजिम, अफजाल भी बैठे थे। मैं तेजी से था, अचानक से मेरी मोटरसाईकिल गड्ढे में गिर गयी और हम तीनों को चोट आ गयी। मेरे साथ सोनू जाकिर, आरिफ व वसीम ने कोई मारपीट या झगड़ा नहीं किया। गाली गलौज नहीं की। मुझे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गये थे। वहां पर मेरा इलाज हुआ था। मैंने दरोगा जी को किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया था।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

21. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह से जिरह की अनुमति चाही गयी। अभियोजन पक्ष को जिरह की अनुमति प्रदान की गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि "मैंने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मैं वैल्डिंग का काम उस समय गाजियाबाद करता था। गांव से रोजाना आना–जाना मोटरसाईकिल से था। घटना शाम के करीब 8 बजे की है। अंधेरा हो चुका था। मोटरसाईकिल में लाइट नहीं थी। मुल्जिमान मेरे गांव के हैं, इन्हें जानता हूं, इन्होंने मेरे साथ मारपीट नहीं की थी। इनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने मेरे साथ मारपीट की हो। यह कहना गलत है कि मेरा फैसला हो गया हो और न्यायालय में सही बात न बता रहा हूं।"

22. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "मुल्जिमान को हाजिर अदालत देखकर कहा कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट नहीं की थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी।"

23. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी०डब्ल्यू०–06 फुरकान को परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "दिनांक 01.09.2021 को शाम के 5–6 बज रहे होंगे। मैं अपने काम से मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था। शोर शराबा सुनकर मैं भी

मौके पर पहुंच गया। मेरे गांव में सड़क पर पाईप डालने का काम चल रहा था तो मैंने सुना कि सड़क पर खुले गड्ढे में अफजाल की मोटरसाईकिल गिर गयी। इस मोटरसाईकिल पर शाहरूख व नाजिम बैठे थे, गिरने से उनके चोट लग गयी थी। मैंने इन तीनों को चोट लगे हुए नहीं देखा, न ही मेरे सामने इन्हें कोई चोट लगी थी, न ही मैं उस समय मौजूद था जब ये लोग गिरे थे। मैंने केवल सुना था, उसके बाद मैं अपने घर चला आया। पुलिस ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं की थी।" <u>इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।</u>

24. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह से जिरह की अनुमति चाही गयी। अभियोजन पक्ष को जिरह की अनुमति प्रदान की गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि "मैंने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।"

25. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "अभियुक्त सोनू उर्फ जाकिर, नासिर, आरिफ ने अफजाल, नाजिम, शाहरुख के साथ हमारे सामने कोई मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी थी।"

26. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी०डब्ल्यू०–07 जाहिद को परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "दिनाक 01.09.2021 को करीब 5–6 बजे शाम की बात है। मैं अपनी रिश्तेदारी से वापस आ रहा था। शोर शराबा सुनकर मैं भी मौके पर पहुंच गयां। मेरे गांव में सड़क पर पाईप डालने का काम चल रहा था तो मैंने सुना कि सड़क पर खुले गड्ढे ने अफजाल की मोटरसाईकिल, जिस पर शाहरूख व नाजिम भी बैठे थे, गड्ढे में गिर गयी। बाईक के गड्ढे में गिरने पर उनके चोट लग गयी थी। मैंने इन तीनों को चोट लगे हुए नहीं देखा। लोगों से सुना था। मेरे सामने इन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, न ही मैं उस समय मौजूद था। मैं अपने घर चला गया था। दरोगा जी ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी।" <u>इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।</u>

27. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह से जिरह की अनुमति चाही गयी। अभियोजन पक्ष को जिरह की अनुमति प्रदान की गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि "मैंने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।"

28. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर, वसीम, नासिर, आरिफ ने अफजाल, नाजिम, शाहरुख के साथ हमारे सामने कोई मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी थी।"

29. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष

की ओर से गवाह पी०डब्ल्यू०–08 कां० अनिरुद्ध पवार को परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "दिनांक 01.09.2021 को मैं बतौर कान्सटेबल क्लर्क थाना धौलाना पर तैनात था। उसी दिन वादी मुकदमा साबिर पुत्र मौ० अली निवासी बौड़ा कलां, थाना धौलाना जनपद हापुड़ एक हस्तलिखित तहरीर लेकर आया। सोनू, नासिर आदिम व नसीम के विरूद्ध मुकदमा कायम कराने के सम्बन्ध में थाने पर उपस्थित होकर दी थी। ड्यूटी अधिकारी के आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा बादी की तहरीर के अनुसार शब्द व शब्द मु०अ०सं० 380/2021 धारा–323, 308, 452, 504, 506 भा०दं०सं० विरूद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त कायम किया गया तथा जी०डी० में खुलासा किया गया। इस साक्षी द्वारा मूल चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–02 के रूप में तथा नकल जी०डी० को प्रदर्श क–03 के रूप में सिद्ध किया गया।"

30. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "मैं थाना धौलाना पर सन 2019 से 2022 तक तैनात था। जिस दिन वादी मुकदमा तहरीर लेकर आया था, उस दिन मेरी ड्यूटी रात की थी। मेरे पास तहरीर लेकर दो आदमी आये थे, जिसमें से एक व्यक्ति वादी मुकदमा था और दूसरा व्यक्ति कौन था, उसका नाम इस समय मुझे ध्यान नहीं है। तहरीर लिखकर लाये थे, मेरे सामने नहीं लिखी थी। ये मेरे पास 01.09.2021 को समय करीब रात्रि 11 बजे के आसपास आये थे। उस समय थाने पर मैं व पहरा ड्यूटी अन्दर मौजूद थे, बाहर अन्य पुलिसकर्मी थे, उनका अब मुझे ध्यान नहीं है कि कौन कौन थे। जब वादी मुकदमा मेरे पास तहरीर लेकर आया तो मैं करीब 15–20 मिनट में उनका मुकदमा दर्ज कर लिया था। मैं जरिए टेलीफोन प्रभारी निरीक्षक को अवगत कराकर मुकदमा लिख दिया था। मैंने धारा स्वयं लगायी थी। धारा 308 भा०दं०सं० गंभीर चोट के आधार पर, पूर्व में मेडिकल कराया जा चुका था, उसी के आधार पर लगायी थी। मेडिकल उसी दिन का था। मैंने मेडिकल पढ़ा था। किसको कहां चोट थी, इस समय मुझे ध्यान नहीं है, एफ०आई०आर० में घटना का दिनांक 01.09.2021 और समय 23.13 बजे अंकित है। यह कहना गलत है कि मैंने वादी मुकदमा से मिलकर मुकदमा लिखा हो। यह कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।"

31. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी०डब्ल्यू०–09 एस०आई० अजयवीर सिंह को परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "दिनांक 01.09.2021 को थाना धौलाना पर बतौर एस०आई० चौकी इन्चार्ज सपनावत तैनात था। दिनांक 02.09.2021 को मु०अ०सं० 380/2021 धारा 323, 308, 352, 504, 506 भा०दं०सं० बनाम सोनू आदि की विवेचना मुझे सुपुर्द की गयी थी। इस साक्षी द्वारा अपने बयानों में प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना करते हुए नक्शा नजरी तैयार करने का कथन किया गया है। इस साक्षी द्वारा नक्शा नजरी को प्रदर्श क–04 के रूप में सिद्ध किया गया।"

32. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "इस केस की विवेचना मुझे दिनांक 02.09.2021 को एस०एच०ओ० साहब के लिखित आदेश से मिली थी। CD–II में दिनांक 06.09.2021 को वादी मुकदमा का बयान लिया था। वादी मुकदमा ने बयान मौखिक दिया था। तहरीर देखकर नहीं दिया था। घटनास्थल के पूरब में

तिराहा का T–प्वाइंट है। पश्चिम में वह रास्ता है, जिस पर अभियुक्तगण का आना दर्शाया है। उत्तर में क्या है, ध्यान नहीं है। दक्षिण में अड्डे वाली मस्जिद है। पीड़ितों के मेडिकल अफजाल, शाहरुख, नाजिम का अवलोकन किया था। शाहरुख को बायीं तरफ चोट आयी थी। यदि पूरी विवेचना में विवेचक होता तो मैं डॉक्टर के दोबारा बयान लेता, क्योंकि सी०टी० स्कैन में चोट दायीं तरफ दिखायी है तथा सी०एच०सी० धौलाना ने बायीं तरफ दिखायी है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा मेडिकल रिपोर्ट का सही तरीके से अवलोकन न किया गया हो। यह कहना गलत है कि मैंने विवेचना सही प्रकार से न की हो। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।”

33. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी०डब्ल्यू०–10 एस०आई० अमित कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "दिनांक 01.09.2021 को मु०अ०सं० 380/2021 वादी साबिर पुत्र मौ० अली द्वारा अभियुक्तगण सोनू, नासिर आसिफ, नसीम के विरूद्ध धारा 323, 308, 352, 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस०आई० अजयवीर सिंह द्वारा की जा रही थी। उनका स्थानान्तरण होने के कारण उक्त केस की विवेचना दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा ग्रहण की गयी। सी०डी० का पर्चा स० 5 किता किया गया। दिनांक 12.10.2021 की सी०डी०– 6 किता की गयी। जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी सी०डी० का अवलोकन किया गया। एक चश्मदीद साक्षी फुरकान, जाहिद, आसिफ, राशिद के बयान अंकित किये गये एवं अभियुक्तगण सोनू र्दु जाकिर आरिफ, नाजिसर व वसीम का रोबकार आत्मसमर्पण थाने पर प्राप्त हुआ। इस साक्षी द्वारा तमामी विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 393/2021 अंतर्गत धारा 323, 308, 352, 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा आरोप पत्र कागज संख्या 4अ/1 ता 5 को प्रदर्श क–10 के रूप में सिद्ध किया गया।"

34. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "इस केस की विवेचना दिनांक 27.09.2021 को मिली थी। मैंने इस केस में मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया था। मुझे याद नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित शाहरुख के सिर में किस साइड इंजरी थी। गवाह ने चुटैल शाहरुख की मेडिकल रिपोर्ट सी०एच०सी० धौलाना को देखकर कहा कि इस रिपोर्ट में शाहरुख के सिर में लैफ्ट साइड में चोट अंकित है। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न हीरालाल डायग्नोस्टिक सैण्टर मेरठ की NCCT Head रिपोर्ट को देखकर बताया कि इसमें Fracture right frontal bone अंकित है। मेरे द्वारा इस केस में आरोप पत्र लगाने से पहले उपरोक्त दोनों मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया गया था। मेरे द्वारा सी०एच०सी० धौलाना व Om trauma centre मेरठ के डॉक्टर का बयान लिया गया था। सी०एस०सी० धौलाना के डॉक्टर द्वारा इस चोट के संबंध में अपनी राय नहीं दी थी और न ही सप्लीमैण्ट्री रिपोर्ट दी थी, क्योंकि पीड़ित शाहरुख ने अपनी मर्जी से सरकारी अस्पताल में इलाज न कराकर मेरठ प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराया था। प्राइवेट चिकित्सक ने अपने बयान में चुटैल के सिर में दाहिनी तरफ चोट बतायी थी। मेरे द्वारा पीड़ित शाहरुख को आयी समस्त चोटों का अवलोकन किया गया था तथा

विवेचना से उपरोक्त सभी चोटें पीड़ित को घटना में आयी थीं। मेरे द्वारा दोनों मेडिकल रिपोर्ट में आयी चोटें सही पायी गयी थीं। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा बिना मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किये चार्जशीट दाखिल की हो। मेरे द्वारा नक्शा नजरी नहीं बनाया गया है। मैं घटनास्थल पर गया था। घटनास्थल के चारों दिशाओं में क्या स्थित था, मुझे इस समय याद नहीं है। पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी केस डायरी का अवलोकन मैंने किस तारीख को किया था, तारीख मुझे इस समय याद नहीं है। राशिद के बयान किस स्थान पर, किस तारीख को, किस पर्चा संख्या में अंकित किये थे, याद नहीं है। फुरकान, जाहिद व आरिफ के बयान किस तारीख को, किस पर्चे में अंकित किये गये हैं, तारीख व सी०डी० का पर्चा संख्या याद नहीं है। अभियुक्तों के बयान माननीय न्यायालय की अनुमति से जिला कारागार डासना में अंकित किये थे, पर्चा संख्या व तारीख याद नहीं है। इस केस में मेरे द्वारा CD–V से CD–X तक किता की गयी थीं। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गयी हो। यह कहना गलत है कि मैंने वादी मुकदमा से मिलकर झूठी चार्जशीट दाखिल की हो।"

<u>विवेचन</u>

35. अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करना है कि दिनांक 01.09.2021 को समय करीब 05.00 बजे शाम वहद स्थान ग्राम बझैड़ा कलां, हल्का थाना धौलाना, जिला हापुड़ में अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर, नासिर, आरिफ व वसीम ने एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी साबिर व उसके परिजनों को गाली गलौज कर अपमानित किया, स्वेच्छापूर्वक मारपीटकर साधारण उपहति कारित की, वादी साबिर, नाजिम, अफजाल व शाहरुख पर लाठी, डण्डे व धारदार हथियारों से हमला किया, इस आशय से मारपीटकर गंभीर उपहति कारित की कि यदि उक्त चोटों से नाजिम व शाहरुख की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते।

36. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन कथानक झूठा व संदिग्ध है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये चुटैल साक्षी पी०डब्ल्यू०–02 नाजिम, पी०डब्ल्यू०–03 अफजाल, पी०डब्ल्यू०–05 शाहरुख एवं तथ्य/स्वतंत्र साक्षी पी०डब्ल्यू०–06 फुरकान, पी०डब्ल्यू०–07 जाहिद के द्वारा अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है, अपितु अभियोजन कथानक से इंकार किया गया है तथा अन्य कोई तथ्य का महत्वपूर्ण साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया हो। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

37. आपराधिक न्याय विधि का यह सुनहरा सिद्धांत है कि किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु अभियोजन कथानक को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे जाकर साबित करना होता है। यदि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाता है तो ऐसे संदेह की स्थिति में बचाव पक्ष उसका लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

38. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष पी०डब्ल्यू०–01 वादी मुकदमा साबिर को परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी०डब्ल्यू०–01 द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया कि "घटना दिनाक 01.09.2021 को समय करीब 5 बजे शाम मेरे तथा मेरे परिवार के नाजिम, अफजाल, शाहरूख रास्ते में सीमेंट का पाईप लगा रहे थे। तभी पास में रहने वाले सोनू, आरिफ, वसीम, नासिर निवासीगण बझैड़ा कलां आ गये। इन्होंने पाईप डालने के ऊपर गाली गलौज की, जिस पर इन लोगों ने एक राय होकर लाठी, डण्डों व धारदार हथियार व सरियों से जान से मारने की नीयत से हम लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें शाहरूख के सिर पर चोट आयी। सिर फट गया व मौके पर बेहोश हो गया। जमीन पर गिर गया। अफजाल के पैर पर चोट आयी। मौके पर हाशिम, नन्हें आ गये, जिन्होंने हमें बचाया। ये लोग हमें जान से मारने के लिए वहां से धमकी देकर चले गये। हम पहले अस्तपाल सरकारी गये थे। कोई पुलिस वाला साथ नहीं गया था। फिर थाने आये थे। थाने में रिपोर्ट लिखवाकर दे दी थी। किस व्यक्ति से लिखायी थी, नाम नहीं पता। रिपोर्ट पढ़कर सुना दी थी। फिर दस्तखत किये थे। गवाह ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर को पहचाना और कहा कि ये वही तहरीर है जो थाने पर दी थी, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। चोट नाजिम, शाहरुख और अफजाल को आयी थीं। मेडिकल हुआ था।" इस प्रकार पी०डब्लू०–01 वादी मुकदमा साबिर द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि थाने में मैंने जो तहरीर दी थी, वो मैंने खुद नहीं लिखी थी। मैंने तहरीर किसी वकील से नहीं लिखवाई थी। थाने पर दो–तीन लड़के खड़े थे, नाम पता मालूम नहीं, उन्हीं से लिखवाई थी। तहरीर एक लड़के ने लिखी थी। आगे कथन किया कि **हम पहले थाने गए थे। जब हम थाने गये थे तो थाने पर दरोगा जी थाने पर थे। मैंने मुख्य परीक्षा में अस्पताल पहले जाना बताया था, परन्तु सही बात यह है कि मैं पहले थाने गया था। यह कहना सही है कि कल दिनांक 31.01.2023 को पहले अस्पताल जाने वाली बात जो कही थी, झूठ थी।** मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अदालत में झूठा बयान देने पर मुझे सजा भी हो सकती है। आगे कथन किया कि **घटनास्थल से दरोगा जी ने मिट्टी का नमूना लिया था अथवा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि चुटैलों का खून जमीन पर गिरा या नहीं।** कपड़े सने पड़े थे। खून से सने हुए कपड़े दरोगा जी ने नहीं लिये थे। बाद में कहा मेरे सामने नहीं लिये थे। **मैं गांव में इस्ते प्रधान का समर्थन करता हूं। मुल्जिमान नदीम प्रधान का समर्थन करते हैं।** जब मैं अस्पताल गया था तो सबसे पहले शाहरुख खान का इलाज किया था करीब 07.30–08.00 बजे के लगभग किया था। सिर में उल्टी तरफ चोट आई थी। आगे कथन किया कि ओम डायग्नोस्टिक सेण्टर की रिपोर्ट हमने देखी थी या डॉ० को दिखाई थी, याद नहीं है। मुझे इस बारे में नहीं पता कि उक्त रिपोर्ट दरेगा जी को दे दी थी या नहीं। **रिपोर्ट मेरा भतीजा लाया था, मैंने नहीं देखी थी।** फाइल पर लगी रिपोर्ट को देखकर कहा मेरा भतीजा फरमान पुत्र खलील जांच की रिपोर्ट लाया था, मैंने नहीं देखा। फरमान मुकदमे में गवाह नहीं है। आगे कथन किया कि **यह बात मुझे याद नहीं कि मेरठ अस्पताल में शाहरुख किस तारीख से किस तारीख तक भर्ती रहा।** मेरठ अस्पताल में अगले दिन से भर्ती हुआ था। **अस्पताल में कितने दिन भर्ती रहा, याद नहीं है।** उल्लेखनीय है कि वादी के कथनानुसार वह घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित था तथा अभियुक्तगण ने जान से मारने की नीयत से घातक हथियारों से उन लोगों पर हमला किया, परन्तु वादी मुकदमा के चोट न आना उसके कथनों पर संदेह उत्पन्न करता है।

39. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष पी०डब्ल्यू०–02 नाजिम को परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी०डब्ल्यू०–02 द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया कि "दिनांक 01.09.2021 की बात है। शाम के करीब 04–05 बजे होंगे। मैं अपनी मोटरसाईकिल से आ रहा था। उस दिन पहली बार हमारे घर के सामने काम चल रहा था। मैं बड़ी तेजी में था। मुझे सुबह जाते समय नहीं पता था कि यहाँ पर काम चल रहा है, गड्ढ़ा हो रहा है। मोटरसाईकिल तेजी की वजह से मैं होपलैस हो गया और तेजी से ब्रेक लगाया और मोटरसाईकिल गड्ढे में घुस गयी। घटना स्थल पर मोहल्ले के काफी लोग आ गये और मेरे सिर व पैर में चोट आ गयी। घटनास्थल पर मोहल्ले के काफी लोग आ गये। मुझे देवनन्दिनी अस्पताल इलाज के लिए ले गये। **मेरे साथ सीनू, नासिर, आरिफ, वसीम ने कोई मारपीट नहीं की थी, न ही मुझे उन्होंने कोई चोट पहुंचाई। रिपोर्ट मैंने नहीं लिखायी थी, न मेरी जानकारी में है कि उक्त लोगों का नाम रिपोर्ट में कैसे लिखा दिया।"** इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि **"मुझे चोट मोटरसाईकिल के गड्ढे में गिर जाने से आयी। सोनू, नासिर, आरिफ व वसीम मेरे मोहल्ले के हैं, इन्होंने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की। यह कहना गलत है कि उक्त लोगों ने मेरे साथ मारपीट की हो।"** इसी प्रकार अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि **"हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर गवाह ने कहा कि इन्होंने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की। यह कहना गलत है कि आज हाजिर अदालत मैं झूठी गवाही दे रहा हूं। और न ही इन्होंने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।"** इस प्रकार पी०डब्ल्यू०–02 के बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पी०डब्ल्यू०–02 द्वारा अपने सशपथ बयानों में अभियोजन कथानक की घटना से इन्कार किया गया है तथा अपने बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

40. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षी पी०डब्ल्यू०–03 अफजाल को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक 01.09.2021 की शाम करीब 4 बजे की बात है। मैं व नाजिम, शाहरूख नाजिम की मोटरसाईकिल पर बैठकर गांव आ रहे थे। नाजिम के मकान के सामने सड़क पर गहरा गड्ढ़ा खुदा हुआ था। **मोटरसाईकिल अचानक से गड्ढे में गिर गयी और हम तीनों गिर गये, जिससे हमारे चोट आ गयी।** उसी समय हमें मोहल्ले वाले उठाकर सरकारी अस्पताल ले गये थे। वहाँ हमारा मेडिकल व इलाज हुआ। **सोनू, वसीम व आरिफ, नसीर ने हमारे साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही हमें चोटें पहुंचायी। रिपोर्ट मैंने नहीं लिखायी थी।"** इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि **"मैंने तीनों मुल्जिमों का नाम नहीं बताया, न ही मारपीट की बात बतायी, उन्होंने मेरे बयान में उपरोक्त मुल्जिमों द्वारा मारपीट करने की बात लिखी है, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।** यह बात सही है कि मेरे पैर में चोट आयी थी। सरकारी अस्पताल द्वारा मेरा एक्स–रे कराने हेतु रैफर किया गया था, जहां मेरा एक्स–रे हुआ था। मुल्जिमान मेरे गांव के हैं, मेरे परिवार के हैं, मैं इनको जानता हूं, पहचानता हूं। इनसे हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी।" इसी प्रकार अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि **"हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर कहा कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट कर कोई चोट नहीं पहुंचायी थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी।"** प्रकार पी०डब्ल्यू०–03 के

बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पी०डब्ल्यू०–03 द्वारा अपने सशपथ बयानों में अभियोजन कथानक की घटना से इन्कार किया गया है तथा अपने बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

41. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षी पी०डब्ल्यू०–05 शाहरुख खान को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक 01.09.2021 को मैं सुबह अपने घर से मोटरसाईकिल लेकर बेल्डिंग का काम करने बाहर गया था। उस दिन हमारे घर के सामने ग्राम प्रधान की ओर से रास्ते पर काम कराया जा रहा था। मेरी मोटरसाईकिल पर नाजिम, अफजाल भी बैठे थे। **मैं तेजी से था, अचानक से मेरी मोटरसाईकिल गड्ढे में गिर गयी और हम तीनों को चोट आ गयी। मेरे साथ सोनू जाकिर, आरिफ व वसीम ने कोई मारपीट या झगड़ा नहीं किया। गाली गलौज नहीं की।** मुझे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गये थे। वहां पर मेरा इलाज हुआ था। **मैंने दरोगा जी को किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया था।"** इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि **"मुल्जिमान मेरे गांव के हैं, इन्हें जानता हूं, इन्होंने मेरे साथ मारपीट नहीं की थी। इनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने मेरे साथ मारपीट की हो।"** इसी प्रकार अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि **"मुल्जिमान को हाजिर अदालत देखकर कहा कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट नहीं की थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी।"** प्रकार पी०डब्ल्यू०–05 के बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पी०डब्ल्यू०–05 द्वारा अपने सशपथ बयानों में अभियोजन कथानक की घटना से इन्कार किया गया है तथा अपने बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

42. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षी पी०डब्ल्यू०–06 फुरकान को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक 01.09.2021 को शाम के 5–6 बज रहे होंगे। मैं अपने काम से मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था। शोर शराबा सुनकर मैं भी मौके पर पहुंच गया। मेरे गांव में सड़क पर पाईप डालने का काम चल रहा था तो मैंने सुना कि सड़क पर खुले गड्ढे में अफजाल की मोटरसाईकिल गिर गयी। **इस मोटरसाईकिल पर शाहरूख व नाजिम बैठे थे, गिरने से उनके चोट लग गयी थी। मैंने इन तीनों को चोट लगे हुए नहीं देखा, न ही मेरे सामने इन्हें कोई चोट लगी थी, न ही मैं उस समय मौजूद था जब ये लोग गिरे थे। मैंने केवल सुना था, उसके बाद मैं अपने घर चला आया। पुलिस ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं की थी।"** अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। इसी प्रकार अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि **"अभियुक्त सोनू उर्फ जाकिर, नासिर, आरिफ ने अफजाल, नाजिम, शाहरुख के साथ हमारे सामने कोई मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी थी।"** प्रकार पी०डब्ल्यू०–06 के बयानों के

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पी०डब्ल्यू०–06 द्वारा अपने सशपथ बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

43. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षी पी०डब्ल्यू०–07 जाहिद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनाक 01.09.2021 को करीब 5–6 बजे शाम की बात है। मैं अपनी रिश्तेदारी से वापस आ रहा था। शोर शराबा सुनकर मैं भी मौके पर पहुंच गयां। मेरे गांव में सड़क पर पाईप डालने का काम चल रहा था तो मैंने सुना कि सड़क पर खुले गड्ढे ने अफजाल की मोटरसाईकिल, जिस पर शाहरूख व नाजिम भी बैठे थे, गड्ढे में गिर गयी। **<u>बाईक के गड्ढे में गिरने पर उनके चोट लग गयी थी। मैंने इन तीनों को चोट लगे हुए नहीं देखा। लोगों से सुना था। मेरे सामने इन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, न ही मैं उस समय मौजूद था। मैं अपने घर चला गया था। दरोगा जी ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी।</u>**" अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। इसी प्रकार अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि "**<u>अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर, वसीम, नासिर, आरिफ ने अफजाल, नाजिम, शाहरुख के साथ हमारे सामने कोई मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी थी।</u>**" इस प्रकार पी०डब्ल्यू०–07 के बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पी०डब्ल्यू०–07 द्वारा अपने सशपथ बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

44. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर तथ्य के कुल छः साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं, जिनमें पी०डब्लू०–01 वादी मुकदमा है तथा जिसके द्वारा संदिग्ध कथन किये गये हैं। पी०डब्लू०–02 नाजिम, पी०डब्लू०–03 अफजाल व पी०डब्लू०–05 शाहरुख खान, जो कि प्रस्तुत प्रकरण में चुटैल हैं, तीनों के द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किये गये हैं तथा अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता से स्पष्ट इंकार किया गया है। उक्त के अतिरिक्त पी०डब्लू०–06 फुरकान व पी०डब्लू०–07 जाहिद, जो कि मात्र अनुश्रुत साक्षी हैं, के द्वारा भी अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मुकदमे में कारित घटनाक्रम में अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर पुत्र रफीक, नासिर पुत्र रफीक, आरिफ पुत्र सब्बीर व वसीम पुत्र नज़र मौ० की कोई संलिप्तता नहीं पायी जाती है। मात्र औपचारिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने उपरोक्त समग्र साक्ष्य के माध्यम से यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि "**<u>दिनांक 01.09.2021 को समय करीब 05.00 बजे शाम वहद स्थान ग्राम बझैड़ा कलां, हल्का थाना धौलाना, जिला हापुड़ में अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर, नासिर, आरिफ व वसीम ने एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी साबिर व उसके परिजनों को गाली गलौज कर अपमानित किया, स्वेच्छापूर्वक मारपीटकर साधारण उपहति कारित की, वादी साबिर, नाजिम, अफजाल व शाहरुख पर लाठी, डण्डे व धारदार हथियारों से हमला</u>**

<u>किया, इस आशय से मारपीटकर गंभीर उपहति कारित की कि यदि उक्त चोटों से नाजिम व शाहरुख की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते।"</u>

45. उपर्युक्त साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर पुत्र रफीक, नासिर पुत्र रफीक, आरिफ पुत्र सब्बीर व वसीम पुत्र नज़र मौ० का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है एवं अभियुक्तगण इसका लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतएव अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर पुत्र रफीक, नासिर पुत्र रफीक, आरिफ पुत्र सब्बीर व वसीम पुत्र नज़र मौ० धारा 323/34, 308/34, 352, 504, 506 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाना पूर्णतया न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर पुत्र रफीक, नासिर पुत्र रफीक, आरिफ पुत्र सब्बीर व वसीम पुत्र नज़र मौ० लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र वाद संख्या 602/2022 मु०अ०सं० 380/2021, थाना धौलाना, जिला हापुड़ के प्रकरण में अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर पुत्र रफीक, नासिर पुत्र रफीक, आरिफ पुत्र सब्बीर व वसीम पुत्र नज़र मौ०, निवासीगण ग्राम बझैड़ा कलां, थाना धौलाना, जिला हापुड़ को धारा 323/34, 308/34, 352, 504, 506 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर, नासिर, आरिफ व वसीम जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनानों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण सोनू उर्फ जाकिर, नासिर, आरिफ व वसीम प्रत्येक धारा 437(ए) दं०प्र०सं० के अनुपालन में 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) का एक-एक जमानती एवं समान राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करेंगे कि अपील होने पर वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः- 13.08.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code-UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः- 13.08.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code-UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।